न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 33/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मूसदा जिला–अजमेर

———वादी

ब ना म

1– श्री नूरा पुत्र करणा

2– श्री कंचन पुत्र माला

कौम मेरात साकिन गुवाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर

——प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांशतः अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा गुवाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 4010 रकबा 00–13–00 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध उपरोक्त खसरान की समस्त कृषि दर अप्रार्थी संख्या 1 ने अवेध खनन कर रखी है, जबकि प्रार्थी तहसीलदार मसूदा भूमि धारक होने से उक्त कृषि भूमि का स्वामी है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थी को कोई अधिकार कृषि भूमि की किस्म बदलने का नही होने के बावजूद भूमि को बकृषि में तब्दील कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवेध खनन पाये गये है, जो अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कार्य किया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2017 को कहलवाने की वो वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी खारीज करवाने व आबाद व्यक्तियो द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहा व कहलवाया तो वो ऐसा करने से साफ इंकार हो गये इसलिये वाद कीआवश्यकता हुई है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे भूमि सिवायचक घोषित किया जावे। व न ही कृषि कार्य के अलावा अन्य प्रकृति का कार्य करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2017 में खसरा संख्या 4010 में अवैध खनन करने से बना हुआ खनन पिट पाया गया जो कि पुराना लगता है। राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 4010 नूरा पुत्र करण हि. 13/14 कंचन पुत्र माला हि. 1/14 जाति मेरात निवासी गुवाड़िया के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम गुवाड़िया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 56 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 4010 रकबा 00–13–00 किस्म बारानी–3 में कमरू कंचन चांद सूरज अमीन रज्जाक पि. माला रेशमी पत्नी माला हि.1/2 नूरा वल्द करण हि.1/2 कौम मेरात सा. देह खातेदार तथा नामान्तरकरण संख्या 291 दिनांक 21.09.2015 में कमरू चांद सूरज अमीन रज्जाक रेशमी पत्नि माला हि. 6/14 कौम मेरात के स्थान पर नूरा वल्द करण हि. 6/14 कौम मेरात सा0 देह दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं नंबर ग्राम गुवाड़िया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 4010 रकबा 00–13–00 किस्म बारानी–3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया

जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा को ग्राम गुवाड़िया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 4010 रकबा 00–13–00 किस्म बारानी–3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला म. मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 13:59:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: